

शिक्षाकर्मी वर्ग 01 के पद हेतु काउंसलिंग की सूचना

जिला पंचायत रायपुर द्वारा भर्ती वर्ष 2011-12 में दस्तावेज सत्यापन उपरांत मेरिट सूची के आधार पर शिक्षाकर्मीयों की पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से निम्नानुसार की जावेगी । काउंसलिंग की सूचना टी.वी. चैनल के माध्यमों से/दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से तथा www.raipur.gov.in तथा zpraipur.in वेब साइट पर तथा अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये मो.नं. में यथासंभव एस.एम.एस कर दिया जावेगा । इसके लिए पृथक से सूचना पत्र जारी नहीं किया जावेगा ।

| क्र. | विषय | काउंसलिंग तिथि | स्थान एवं समय | विशेष |
|------|-----------------|----------------|------------------------|-------|
| 1 | अंग्रेजी | 07/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 11 बजे से | |
| 2 | संस्कृत | 07/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 3 बजे से | |
| 3 | गणित | 08/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 11 बजे से | |
| 4 | जीव विज्ञान | 08/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 1 बजे से | |
| 5 | भौतिक | 08/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 3 बजे से | |
| 6 | रसायन | 08/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 4 बजे से | |
| 7 | इतिहास | 09/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 11 बजे से | |
| 8 | राजनीति शास्त्र | 09/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 12 बजे से | |
| 9 | अर्थशास्त्र | 09/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 1 बजे से | |
| 10 | भूगोल | 09/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 3 बजे से | |
| 11 | वणिज्य | 09/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 4 बजे से | |
| 12 | हिन्दी | 09/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 5 बजे से | |

- टीप :** 1. काउंसलिंग प्रारंभ होने के पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है - (अ) 10/- रुपये के स्टाम में शपथ पत्र (दिये गये प्रारूप में) (ब) काउंसलिंग में विकलांग एवं पति पत्नि प्रकरण संबंधित वरीयता प्राप्त करने के लिये आवेदन (दिये गये प्रारूप में) आवेदन के साथ आवश्यक अभिलेख जैसे विकलांग का प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश तथा संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन या कार्यरत होने का प्रमाण पत्र(पति पत्नि प्रकरण में) अनिवार्यतः संलग्न करें ।
2. काउंसलिंग का क्रम निम्नानुसार होगा - सर्वप्रथम विकलांग महिला - विकलांग पुरुष -पति पत्नि प्रकरण महिला -पति पत्नि प्रकरण पुरुष - मेरिट क्रम में शेष महिला-मेरिट क्रम में शेष पुरुष ।
3. अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में बाद में कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.)

शिक्षाकर्मी वर्ग 02 के पद हेतु काउसलिंग की सूचना

जिला पंचायत रायपुर द्वारा भर्ती वर्ष 2011-12 में दस्तावेज सत्यापन उपरांत मेरिट सूची के आधार पर शिक्षाकर्मीयों की पदस्थापना काउसलिंग के माध्यम से निम्नानुसार की जावेगी । काउसलिंग की सूचना टी.वी. चैनल के माध्यमों से/दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से तथा www.raipur.gov.in तथा zpraipur.in वेब साइट पर तथा अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये मो.नं. में यथासंभव एस.एम.एस कर दिया जावेगा । इसके लिए पृथक से सूचना पत्र जारी नहीं किया जावेगा ।

| क्र. | विषय | काउसलिंग तिथि | स्थान एवं समय | विशेष |
|------|---------------|---------------|------------------------|-------|
| 1 | अंग्रेजी | 13/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 11 बजे से | |
| 2 | व्यायम शिक्षक | 13/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 3 बजे से | |
| 3 | हिन्दी | 14/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 11 बजे से | |
| 4 | गणित | 14/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 3 बजे से | |
| 5 | संस्कृत | 15/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 11 बजे से | |
| 6 | विज्ञान | 15/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 12 बजे से | |
| 7 | कला | 15/07/2011 | जि.प.सभाकक्ष 4 बजे से | |

- टीप :** 1. काउसलिंग प्रारंभ होने के पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है – (अ) 10/- रुपये के स्टाम में शपथ पत्र (दिये गये प्रारूप में) (ब) काउसलिंग में विकलांग एवं पति पत्नि प्रकरण संबंधित वरीयता प्राप्त करने के लिये आवेदन (दिये गये प्रारूप में) आवेदन के साथ आवश्यक अभिलेख जैसे विकलांग का प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश तथा संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन या कार्यरत होने का प्रमाण पत्र(पति पत्नि प्रकरण में) अनिवार्यतः संलग्न करें ।
2. काउसलिंग का क्रम निम्नानुसार होगा – सर्वप्रथम विकलांग महिला – विकलांग पुरुष –पति पत्नि प्रकरण महिला –पति पत्नि प्रकरण पुरुष – मेरिट क्रम में शेष महिला-मेरिट क्रम में शेष पुरुष ।
3. अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में बाद में कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.)